भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 430*

जिसका उत्तर बुधवार 12 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है

"राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक सचलता मिशन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति"

430*. श्री भूपेन्द्र यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक सचलता मिशन योजना के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस मिशन की शुरुआत से कितने पर्यावरण अनुकूल और संमिश्र वाहनों का उत्पादन हुआ है;

(ग) प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत ऐसे शहरों पर विशेष ध्यान देने पर विचार कर रही है जहां प्रदुषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है; और

(घ) इससे देश की ऊर्जा की जरूरतों के मामले में किस प्रकार से लाभ मिल रहा है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

"राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक सचलता मिशन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति" के बारे में श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 430 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): भारत सरकार ने वर्ष 2011 में राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनएमईपी) अनुमोदित की है और तत्पश्चात् वर्ष 2013 में राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 को शुरू किया था। इस मिशन के भाग के रूप में भारी उद्योग विभाग ने एक स्कीम नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलैक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की। इस स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सम्पूर्ण योजना को वर्ष 2020 तक 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव था जिसमें इस निर्धारित अवधि के अंत में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड/इलैक्ट्रिक बाजार विकास तथा इसके विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सहायता देने का विचार किया गया था। इसके अलावा, स्कीम की उक्त अधिसूचना के अनुसार स्कीम के चरण-I को 01 अप्रैल, 2015 से शुरू करके 2 वर्ष की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित किया जाएगा। तथापि, फेम इंडिया स्कीम के प्रथम चरण को कुछ संशोधन के साथ आगामी 6 माह की अवधि अर्थात् 30 सितम्बर, 2017 तक अथवा चरण-II का अनुमोदन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

एनएमईपी का उद्देश्य लगभग मिलियन लीटर के बराबर ईंधन की संचयी बचत करना 9500 6 तक 2020 है जिससे वर्ष- के साथ प्रदूषण मिलियन वाहन प्रतिवर्ष बाजार में उतारने के लक्ष्य 7 मिलियन टन कमी लाना है। 2 र्जन मेंतथा ग्रीनहाउस गैस उत्स

घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण और सड़क परिवहन में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को देखते हुए इस योजना का चरण-I निम्नलिखित चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित है:

क) "स्मार्ट सिटीज" प्रस्ताव के अंतर्गत आने वाले शहर।

ख) प्रमुख मेट्रो आबादी समूह - दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद।

ग) सभी राज्य राजधानियां और अन्य शहरी आबादी समूह/शहर, जिनकी आबादी 1 मिलियन से अधिक (2011 जनगणना के अनुसार) है।

घ) पूर्वोत्तर राज्यों के शहर।

बाद में, दुपहियों के संबंध में इस स्कीम को 30 सितम्बर, 2015 से अखिल भारत में लागू कर दिया गया है।

चूंकि, यह स्कीम वर्तमान में अखिल भारत में पूर्णतः लागू नहीं है, अतः इस विभाग ने इस स्कीम के मांग सृजन फोकस क्षेत्र के अधीन बेचे जाने वाले वाहनों के आंकड़े एकत्र किए हैं, जिससे कि शामिल किए गए इन क्षेत्रों में इलैक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए मांग प्रोत्साहन का विस्तार किया जा सके। दिनांक 08 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत कुल 137824 इलैक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहन प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं जिनके परिणामस्वरूप 10564495 लीटर ईंधन की बचत होगी और 26439806 कि.ग्रा. की कार्बन-डाइ ऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन में कमी आएगी।

****